PUBLIC NOTICE

We act on behalf of our client National Skill Development Corporation (NSDC). General Public is put to Notice that NSDC is the implementing agency of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India for their flagship outcome-based skill training scheme – Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY/Scheme). The Scheme intends to provide monetary reward to twenty four lakh youths after they have undergone skill development course(s) in eligible sectors from approved/affiliated training providers (Training Partners) and got assessed and declared successful by the approved Assessment Agencies. The monetary reward shall be given to each successful candidate for only one course undertaken with any Training Partner and such monetary reward would be directly transferred to their designated bank account. PMKVY is not to be construed as a free training scheme, however, to make the training affordable to larger number of youth; Training Partners can provide credit to the trainees at their discretion.

The details of the approved/affiliated training centers and courses are available on PMKVY Website – **www.pmkvyofficial.org**. The candidates can also give a missed call on **088000-55555** to get full details.

It is also to be noted that NSDC and the Training Partners, i.e., approved/affiliated training centers are using and promoting the following device mark for implementing the above skill training scheme.

NSDC has subsisting registrations pending application before the Competent Authorities in respect of the above device-mark both, under the Copyright Act and Trade Marks Act.

It has been brought to NSDC's notice that some unauthorized and unscrupulous persons are attempting to falsely use the above or similar device marks and/or using the name/logo of NSDC in respect of their businesses and falsely representing that they are Training Partners for implementing the 'PMKVY' Skill Training Scheme with a malafide and dishonest intention to mislead and to defraud innocent and unwary members of the public.

The public in general is hereby cautioned against such unauthorized and unscrupulous persons claiming to be Training Partners under the Scheme and are advised to verify the details from the official website of PMKVY to confirm the validity of the claim of being a Training Partner. NSDC shall not be liable to unwary candidates who enroll or undergo training with such unauthorized and unscrupulous persons claiming to be Training Partner without confirming the authenticity of the claims of the training providers claiming to be the Training Partners. Severe civil / criminal action will be taken against anyone who falsely represents that it is an approved/affiliated Training Partner for implementing the 'PMKVY' Skill Training Scheme and such action shall solely be at such entity's cost, risk and consequence.

The public is also requested to bring to the notice of NSDC of such unauthorized and unscrupulous persons/ entities which may be attempting to claim to be Training Partners without being so authorised. This would enable NSDC to institute appropriate steps against such persons who are not only causing loss and damages to NSDC, but are acting to prejudice of the unsuspecting public as well.

PMKVY

PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA

Issued by Advocates for NSDC.

Seth Dua & Associates
601, Sixth Floor, DLF South Court,
Saket, New Delhi 110017,
E-mail: sethdua@sethdua.com

जन सूचना

हम हमारे क्लाइंट नेशनल स्किल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसडीसी) की ओर से काम करते हैं। आम जनता को सूचना दी जाती है कि एनएसडीसी कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सर्वोत्कृष्ट परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई/योजना) के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। योजना द्वारा चौबीस लाख युवाओं को उनके द्वारा स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण सहभागी) से योग्य क्षेत्रों में कौशल विकास पाठ्यक्रम पूरा करने और आकलन करने वाली स्वीकृत एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित और सफल घोषित होने के बाद मौद्रिक पुरस्कार देने का इरादा है। प्रत्येक सफल उम्मीदवार को दिया जाने वाला मौद्रिक पुरस्कार किसी भी प्रशिक्षण सहभागी के साथ शुरू किए गए केवल एक पाठ्यक्रम के लिए दिया जाएगा और यह मौद्रिक पुरस्कार उनके नियत बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएमकेवीवाई एक मुफ्त प्रशिक्षण योजना नहीं है, बल्कि, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण को सस्ता बनाया गया है; प्रशिक्षण सहभागी अपने विवेकाधिकार पर प्रशिक्षार्थियों को क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं।

पीएमकेवीवाई की वेबसाइट - **www.pmkvyofficial.org** पर स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों और पाठ्यक्रमों का विवरण उपलब्ध है। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार **088000-55555** पर एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं।

यह भी ध्यान में रखें कि एनएसडीसी और प्रशिक्षण सहभागी, यानि, स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र उपरोक्त कौशल प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्न डिवाइस मार्क का उपयोग और प्रचार कर रहे हैं।

कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेड मार्क अधिनियम दोनों के तहत योग्य प्राधिकरणों के समक्ष एनएसडीसी के पास पंजीकरण लंबित आवेदन अभी भी कायम हैं।

एनएसडीसी के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ अनाधिकृत और अनैतिक लोग उपरोक्त या समान डिवाइस मार्क का झूठा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एनएसडीसी के नाम/लोगो का उपयोग उनके व्यवसायों के संदर्भ में कर रहे हैं और जनता के भोले भाले और अनभिज्ञ सदस्यों को भटकाने और धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण और कपटी इरादे के साथ गलत वर्णन कर रहे हैं कि वे ेपीएमकेवीवाईई कौशल प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण सहभागी हैं।

आम जनता को एतद द्वारा ऐसे अनाधिकृत और अनैतिक लोगों के विरुद्ध खबरदार किया जाता है जो इस योजना के तहत प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करते हैं और सलाह दी जाती है कि प्रशिक्षण सहभागी होने के दावे की वैधता की पुष्टि के लिए पीएमकेवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की जांच करें। एनएसडीसी उन अनभिज्ञ उम्मीदवारों के प्रति जवाबदेह नहीं होगी जो प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करने वाले अनाधिकृत और अनैतिक लोगों के साथ नामांकन करते हों या प्रशिक्षण लेते हों बिना ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं के दावों की सच्चाई की पुष्टि किए।

ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी / अपराध का गंभीर मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो गलत वर्णन करते हों कि वह हपीएमकेवीवाईई कौशल प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सहभागी है और इस काम का खर्चा, जोखिम और परिणाम उस संस्था को केवल भुगतने पड़ेंगे।

जनता से यह भी अनुरोध है कि वे एनएसडीसी को ऐसे अनाधिकृत और अनैतिक व्यक्तियों की सूचना दें जो बिना अधिकार प्रशिक्षण सहभागी होने का दावा करते हों। ऐसा करने से एनएसडीसी को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कदम उठाने में मदद मिलेगी जो ना केवल एनएसडीसी को नुकसान और क्षति पहुंचा रहे हों, बल्कि भोली भाली जनता को हानी पहुंचाने का काम करते हों।

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

एनएसडीसी के लिए वकीलों द्वारा जारी
सेठ दुआ और एसोसिएट्स
601, छठी मंजिल, डीएलएफ़ साउथ कोर्ट,
साकेत, नई दिल्ली 110017
ईमेल- sethdua@sethdua.com